न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्या 35/2017 विविधि

करतार सिंह पुत्र श्री स्व0 फौजा सिंह जाति बावरी निवासी साबूआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2.बंता सिंह पुत्र बुटा सिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3.जगतार सिंह पुत्र फौजा सिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीगण

तहसीलदार टिब्बी के न्यायालय में वसीयत प्रकरण संख्या 19/2017 को ट्रांसफर करवाने बाबत प्रार्थना पत्र

उपस्थितः—1.श्री राजेश दीप राय वकील प्रार्थी
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से
3.श्री विजय कौशिक वकील अप्रार्थी संख्या—2

Web Copy - Not Official

आदेश

दिनाकः—06.03.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार टिब्बी के कार्यालय में चक 3 एसबीएन वर्तमान खाता संख्या 69/64, सम्वत् 2073—76 में फौजा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति बावरी निवासी साबुआना द्वारा अभिकथित वसीयत दिनांक

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

15.05.1987 के नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित है। तहसीलदार टिब्बी के द्वारा अभिकथित दिनांक 15.05.1987 की सुनवाई के दौरान तहसीलदार टिब्बी के द्वारा सरेआम बन्तासिंह का पक्ष लिया गया जब मेरे अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.08.2017 को गवाह बन्ता सिंह व जग्गासिंह से जिरह की जा रही थी जिरह के दौरान मेरे अधिवक्ता द्वारा जो जग्गासिंह से प्रशन किया गया उसका उतर तहसीलदार टिब्बी के जिरह में नही लिखा है। प्रार्थी तहसीलदार टिब्बी की कार्यवाही से सन्तुष्ट नही है। प्रार्थी तहसीलदार टिब्बी से उक्त प्रकरण का फैसला नही करवाना चाहता है। उक्त प्रकरण में पत्रावली तहसीलदार टिब्बी के न्यायालय से ट्रांसफर करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। तहसीलदार टिब्बी से टिप्पणी मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार टिब्बी के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 का पक्ष लिया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान गवाह बन्ता सिंह व जग्गासिंह से जिरह की गई थी उस जिरह के उतर तहसीलदार टिब्बी द्वारा जिरह में नही लिखे है। इसलिए प्रार्थी को तहसीलदार टिब्बी से प्रश्नगत प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरण करने के आदेश फरमाये जावे।

स्टेट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार व मनगढंत है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य मिथ्या एवं मनगढंत है। फौजासिंह पुत्र बन्तासिंह द्वारा सबरजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गई थी जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न नही है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को यदि किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो पैरवी हेतु पृथक से अधिवक्ता नियुक्त करना पडेगा जिसके भुगतान हेतु अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने कथनो के समर्थन में Rajasthan Revenue Courts Manual Rule, RRD–14-06-2012 पेज 376, RRT 2011-12 (Supp.) पेज 213 के दृष्टान्त पेश किये।

अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार टिब्बी की टिप्पणी का अवलोकन करने से उन पर लगाये गये आरोप निराधार व मनगढंत होना पाये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के

स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति तहसीलदार टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 06.03.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official